

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 63/2023

मेघनाथ पुत्र गंगानाथ जाति सिद्ध निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु

वादी

बनाम

1. पुष्पाकंवर पत्नि नन्दूसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
2. कमलसिंह पुत्र नन्दूसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
3. विक्रमसिंह पुत्र नन्दूसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
4. सरोजकंवर पुत्री नन्दूसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
5. पुनमकंवर पुत्री नन्दूसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
6. ताराकंवर पुत्री नन्दूसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
7. कैलाशकंवर पुत्री नन्दूसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
8. छोटूकंवर पत्नि प्रेमसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
9. रणवीरसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
10. भंवरकंवर पत्नि जगमालसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
11. केशरसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
12. मूलसिंह पुत्र हडमानसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
13. रामुनाथ पुत्र किशननाथ जाति सिद्ध निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु
14. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुजानगढ जिला चूरु
15. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुजानगढ जिला चूरु
16. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।


उपस्थित :-


मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

:- निर्णय :-


दिनांक:- 03-12-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 410 चार सौ दस तादादी 5.8805 पांच दशमलव आठ आठ जीरो पांच हेक्टेयर वाके रोही ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है जिसमें वादी की 26/465 छबीस बट्टा चार सौ पेंसठ हिस्सा भूमि है जो मौका पर खेत की उतरी पूर्वी कुंट में हिस्सा पांति में आई हुई है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एवं




उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)

प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह अपने-अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह का खान-पान, रहन-सहन अलग-अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 10. 3.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने-अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक-पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 13 तेरह की ऐलानीयां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 16 सोलह के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)

है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि-आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।


वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 बावजूद तामिल अनुपरिस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में परोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।


वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी कब्जा काशत के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम उंटालड खसरा संख्या 410 तादादी 5.8805 हेक्टेयर वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 26/465 हिस्सा है। जो वादगत भूमि में उत्तरी पूर्वी साईड की है। तहसीलदार बीदासर से वादी की 26/465 हिस्सा भूमि का कब्जा काशत अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रारम्भिक डिकी व मुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

मेघनाथ बनाम पुष्पाकंवर आदि

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा नं:- 63/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रु-ब-रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्ई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम उंटालड खसरा संख्या 410 तादादी 5.8805 हेक्टेयर वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 26/465 हिस्सा है। जो वादगत भूमि में उत्तरी पूर्वी साईड की है। तहसीलदार बीदासर से वादी की 26/465 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

चीज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....03/12/2024



दस्तखत.....
ओहदा.....

| मुद्ई | रुपया | पै. | मुद्दायलाई | रुपया | पै. |
|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प बकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुताफरिक | | |
| मुताफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट: खर्च के फॉर्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चल)